



[2026:RJ-JP:18087]

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 831/2026

Tariq Khan S/o Ismail Khan, R/o Village Badarpur, Police Station Nagina, District Nuh, Haryana (At Present Confined in Central Jail, Jaipur)

-----Appellant

Versus

1. The State of Rajasthan, Through The Public Prosecutor
2. Victim

-----Respondents

For Appellant(s) : Mr. Manak Chand Jain, Adv.
For Respondent(s) : Mr. Vijay Singh Yadav, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI
Order

29/04/2026

अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 14-ए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत यह जमानत अपील विचारण न्यायालय, विशिष्ट न्यायालय, अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम-2) जयपुर महानगर-द्वितीय द्वारा द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 72/2026 में पारित आदेश दिनांक 07.04.2026 से व्यथित होकर पेश की गई है, जिसके तहत पुलिस थाना आमेर, जयपुर शहर (उत्तर) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 261/2025 अंतर्गत धारा 64(1), 308(5), 351(3) भारतीय न्याय संहिता में अपीलार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता खारिज किया गया है।

अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से पूर्व में नियमित जमानत हेतु प्रस्तुत एकलपीठ आपराधिक अपील संख्या 3182/2025 इस न्यायालय द्वारा



आदेश दिनांक 26.02.2026 के माध्यम से विस्तृत आदेश पारित कर खारिज की गयी है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त का बहस के दौरान तर्क रहा है कि अपीलार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे प्रकरण में मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है, घटना की रिपोर्ट में घटना दिनांक 02.03.2025 की होना बताया गया है, जबकि पीड़िता ने न्यायालय के समक्ष अपने बयानों में घटना दिनांक 22.03.2025 की होना बताया है। घटना की रिपोर्ट दिनांक 22.08.2025 को करीब 5 माह के विलम्ब से दर्ज करवायी गयी है। पीड़िता के धारा 180 बी.एन.एस.एस. के बयान, तितम्बा बयान, घटना की रिपोर्ट व न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध बयानों में घटना कारित होने की दिनांक में अंतर है। पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ हो, ऐसी कोई चिकित्सकीय रिपोर्ट नहीं है। पीड़िता 19 वर्षीय वयस्क है, वह स्वेच्छा से अपीलार्थी/अभियुक्त के साथ गयी है। आपसी सहमति से बने संबंधों को बलात्कार का रूप देकर झूठी रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 29.08.2025 से अभिरक्षा में चल रहा है, उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है, विचारण में समय लगेगा। अतः अपीलार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जावे।

पीड़िता/परिवादिया का नोटिस बाद तामील प्राप्त होने के बावजूद उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि पीड़िता ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपने बयानों में स्पष्ट रूप से अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा उसके साथ बलात्कार किये जाने के तथ्य कहे हैं। अपीलार्थी/अभियुक्त के कब्जे से मोबाईल बरामद हुआ है, जिसमें उसके द्वारा अश्लील वीडियो डिलीट किया जाना बताया है। उक्त डिलीट किये गये वीडियो को अपीलार्थी/अभियुक्त के मोबाईल से लेकर एफ.एस.एल. से उनका

परीक्षण कराये जाने पर पीड़िता के अश्लील वीडियो पाये गये हैं। अपीलार्थी/अभियुक्त ने पीड़िता की इच्छा और सहमति के बिना बलात्कार किया है। अतः अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी/अभियुक्त की जमानत अपील खारिज की जावे।

मैंने दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में घटना की रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता ने अपीलार्थी/अभियुक्त के द्वारा उसे होटल में ले जाकर उसके साथ उसकी सहमति के बिना बलात्कार किया जाना और उसके द्वारा पीड़िता के नग्न अवस्था में फोटो और वीडियो बनाया जाना बताया है। इन तथ्यों को पीड़िता ने अपने धारा 180 व 183 बी.एन.एस.एस. के बयान व तितम्बा बयानों में भी बताया है। पीड़िता ने अपने चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान भी यह तथ्य कहे हैं। न्यायालय के समक्ष पीड़िता के धारा 183 बी.एन.एस.एस. के बयान हुए हैं, उन बयानों में भी पीड़िता ने उसकी इच्छा और सहमति के बिना अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया जाना बताया है। एफ.एस.एल. रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी/अभियुक्त के मोबाईल फोन से डिलीट किये गये अश्लील पिक्चर और वीडियो पीड़िता के होना बताया गया है। पीड़िता न्यायालय के समक्ष पी.डब्ल्यू.-3 के रूप में परीक्षित हुई है, उसने अपने बयानों में यह बताया है कि अपीलार्थी/अभियुक्त उसे होटल में ले गया और उसके साथ जबरदस्ती की व शारीरिक संबंध बनाये, उसके मना करने पर भी फोटो वीडियो लिये और सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। प्रतिपरीक्षा में पीड़िता ने यह कथन किया है कि प्रदर्श पी-4 रिपोर्ट के सी



से डी स्थान पर दिनांक 02.03.2025 गलत लिखी हुई है और घबराहट में वह तारीख उसने गलत लिखा दी थी।

वस्तुतः घटना की रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने का, पीड़िता द्वारा घटना की विभिन्न तारीख बताने का, मेडिकल परीक्षण में उसके शरीर पर कोई चोट नहीं आने व डी.एन.ए. रिपोर्ट की समानता नहीं आने का प्रकरण पर क्या प्रभाव होगा, इन समस्त तथ्यों का अवधारण इस स्तर पर नहीं किया जा सकता है। उक्त तथ्यों का अवधारण गुणावगुण पर विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य के पश्चात किया जा सकता है। पीड़िता ने विचारण न्यायालय के समक्ष बयानों में अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा उसके साथ बलात्कार किया जाना बताया है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत किये गये तर्कों तथा अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना अपीलार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः अपीलार्थी/अभियुक्त **तारीक खान पुत्र इस्माईल खान** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

चूंकि अपीलार्थी/अभियुक्त लंबे समय से अभिरक्षा में चल रहा है, ऐसे में विद्वान विचारण न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वे त्वरित गति से विचारण पूर्ण कर प्रकरण के शीघ्र निस्तारण का प्रयास करें।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J